तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/11/24	पत्रा. आज पेश हुई - वकु. अ/, प्रार्थनापत्र 151 पर सुना गया - प्रार्थी/प्र. - वकील का कहना है कि प्रार्थनापत्र की मे 6 सं. 2 मे वर्णित - आरोपी कावत - वाद पत्र की मे 6 सं. 2 मे वर्णित - आरोपी कावत - लेख अन्यवाद. असरकारी पक्ष ने कहा है कि - 9/2/25 न्यायालय मे विचाराधीन है जो कि - खातेदारी बोयणा का है, जिसमे समस्त पक्षकार, समस्त - आरोपी का है, इसलिए जब तक - खातेदारी बोयणा का वाद - असरकारी पक्ष ने निर्णय नहीं हो जाता है तब तक तलाक प्रकरण का निर्णय नहीं हो सकता है, अगर विलम्ब होगा तो वादिनी के खातेदारी कायम होगी अथवा कोई, जो जीवित. 746. किलो - 16/10 से पहले है - जो अपील न्यायालय द्वारा खारिज हो - चुकी है, तब इनकी अपीलार्थी - खारिज. कर दी गयी है तथा आगे, पूछताछ कोई वर्तमान में रिकॉर्ड पक्षकारों - नहीं है ऐसी स्थिति में - असरकारी पक्ष ने कोई वाद का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इस वाद की - कार्यवाही स्थगित की जावे.

वकील - प्रार्थी वादी - का कहना है कि इस वाद पत्र में - कूटजात की बिना पर आपको किसी - ने वादिनी खातेदार नहीं है. परन्तु - रजि. दान पत्र - दिनांक 15/7/2015 के आधार पर इनका तलाक मिला है - तथा कूटजात की - इनपत्र के आधार पर बिना आये हैं - दाखिल खारिज एक समरी प्रोसिडिंग है, उसके होने या नहीं से रजि. दस्तावेज प्रभावित नहीं होता है रजि. दस्तावेज के आधार पर पक्षकार आये गये हैं तब ऐसे पक्षकार आपस में विवाद - पत्र की कार्यवाही रोककर असरकारी पक्ष ने लाभ का लाभ लिया जावे.

हमने दोनों विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रा. का अवलोकन किया तो पाया कि - इस - वाद मे वर्णित आरोपी - कावत एक अन्यवाद है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:29:31 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

ए. आई.आर. असरफी पर डिक्री सिर्फ कॉम. को.म. - खातेदारी होने की धा. 88, 89, 188 राज. टिनेन्सी एक्ट को.म. इन्ह. विवादित आराजी - समान है - तथा पक्षकारों - समान है - अब तक - वादिनी की खातेदारी अधिकार होषित ना होपाते हैं तब तक इन्ह वादपत्र में विचारण नहीं मय्या जा सकता है - क्रम - 3. असरफी पर डिक्री सिर्फ में - वादिनी की हक - अभी तय होने हैं, इसलिये इन्ह - वादपत्र की - कार्यवाही स्थगित मय्या जाना उचित है. अतः तारीख प्रा.पत्र 15 आदे. के तहत स्वीकार मय्या जाकर इन्ह - वादपत्र की अग्रिम कार्यवाही स्थगित की जाती है.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:29:31 IST
Reason: SelfAttested